संख्याः 83/VII-II-10/06-रा0मु0/2008

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
रूड़की, हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 14 जनवरी, 2010

विषयः **वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत राजकीय मुद्रणालय रूड़की, हरिद्वार हेतु वचनबद्ध मदों में प्रथम अनुपूरक अनुदान की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत राजकीय मुद्रणालय हेतु 01-वेतन मद में प्रथम अनुपूरक अनुदानान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-138 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-129 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च 2010 तक कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5- व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाये।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखा शीर्षक-2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 00-आयोजनेत्तर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 03-राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान मद के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07 जनवरी 2010 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 83(1)/VII-II-10/06-रा0मु0/2006 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री जी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रूड़की, हरिद्वार।
4. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।